387

संख्या– /XVIII(II)/2014–18(24)/2014

प्रेषक,

भास्करानन्द,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
चम्पावत।

राजस्व अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 27 मई, 2014

विषयः–जनपद चम्पावत में स्थित लोक निर्माण विभाग के कार्यालय के स्थान पर रोडवेज स्टेशन निर्माण किये जाने हेतु कुल 0.868 है0 भूमि परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन को निःशुल्क हस्तांतरित करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–3309/चौतीस–परिवहन/2010–11 दि0–4.7.2013 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, जनपद चम्पावत के प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग कार्यालय, चम्पावत के स्थान पर रोडवेज बस स्टेशन निर्माण किये जाने हेतु तहसील एवं जिला चम्पावत के राजस्व ग्राम चौकी के ज0वि0 खतौनी की श्रेणी 5(3)ङ कृषि योग्य बंजर भूमि के खाता सं0–159 बसरा सं0–379 के खेत सं0–3504, 3505, 3506, 3507, 3508, 3509, 3510, 3511, 3520, 3521, 3522, 3523, 3524, 3525, 3526, 3527, 3528, 3529, 3530 कुल रकबा 0.868 है0 (43 नाली 6 मुठ्ठी) भूमि को वित्त अनुभाग–3 के शासनादेश संख्या–260/वित्त अनुभाग–3/2002 दिनांक 15–02–02 के प्राविधानों के अधीन तथा लोक निर्माण विभाग/परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन की सहमति/अनापत्ति के क्रम में निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन को निःशुल्क हस्तान्तरित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1– भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत न हो।

2– जिस परियोजना के लिए भूमि हस्तान्तरित की जा रही है वह एक अनुमोदित परियोजना हो और उसके लिए शासन से सहमति प्राप्त हो चुकी हो।

3– हस्तान्तरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग की जाये तो उसके लिये मूल विभाग से पुनः अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

4– यदि भूमि की आवश्यकता न हो या 3 वर्षों तक हस्तान्तरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिए उपयोग में नहीं लायी जाती है तो वह मूल विभाग में स्वतः ही निहित हो जायेगी।

5– जिस प्रयोजन हेतु भूमि हस्तान्तरित की जा रहीं है उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु किसी अन्य व्यक्ति, संस्था, समिति अथवा विभाग आदि को मूल विभाग की सहमति के बिना भूमि हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।

6– जिस प्रयोजन हेतु भूमि आवंटित की जा रही है उसकी पूर्ति के उपरान्त यदि भूमि अवशेष पड़ी रहती है, तो मूल विभाग को उसे वापस लेने का अधिकार होगा।

.....2